समाहरणालय, मुंगेर
(जिला पंचायत राज कार्यालय)
आदेश

संयुक्त निवार्चन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, विहार पटना के पत्रांकः-864, दिनांकः- 16.04.2018 के द्वारा नगरपालिका उप निर्वाचन 2018 :- हेतु नगर पंचायत ,खडगपुर के वार्ड संख्याः-04 के रिक्त पद पर निर्वाचन कराये जाने हेतु मतदाता सूची की तैयारी का कार्यक्रम निम्नवत् प्राप्त हुआ है:-

मतदाता सूची की तैयारी के विभिन्न प्रक्रमों की समय-सारणीः-

क्रमांक	कार्य का विवरण	अवधि
1	2	3
1	वार्ड -वार मतदाता सूची का विखण्डन	17.04.2018 से 25.04.2018 तक
2	मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन	26.04.2018 से 09.05.2018 तक
3	दावा /आपत्ति प्राप्त करना	26.04.2018 से 09.05.2018 तक
4	दावा आपर्ति का निष्पादन	26.04.2018 से 16.05.2018 तक
5	नये मतदाता सूची की प्रविष्टि हेतु अनुमोदन	18.05.2018 तक
6	मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	21.05.2018

आयोग के पत्रांकः-7281, दिनांकः- 07.12.2016 की छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि उक्त पत्र में वर्णित दिशा- निदेश का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें ।

इसके अतिरिक्ति सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना के पत्रांकः-7159,दिनांकः-28.11.2016 के आलोक में नगरपालिका उप निर्वाचन,2018 हेतु नगर पंचायत ,खडगपुर के वार्ड संख्याः-04 का मतदाता सूची तैयार करने हेतु श्री संजीव कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी ,खडगपुर को निबंधन पदाधिकारी नियुक्ति किया जाता है:-

17/4/18

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
-सह-
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांकः-...368...../पं0,दिनांकः-...17/04/2018

प्रतिलिपि :- श्री संजीव कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी,खडगपुर को सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार पटना के पत्रांकः-7281, दिनांकः- 07.12.2016 की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं मुंगेर बेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, मुंगेर /उप विकास आयुक्त, मुंगेर / कार्यपालक पदाधिकारी,नगर पंचायत, हवेली खडगपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि कार्यक्रम को स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से सूचना सर्व साधारण को प्रकाशित करें ।

प्रतिलिपि :- संयुक्त निवार्चन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार पटना को उनके पत्रांकः-864, दिनांकः-16.04. 2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

17/4/18

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
-सह-
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

emsil 16/4/18

(12)

अत्यावश्यक

नगरपालिका उप-निर्वाचन, 2018

राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांक - न0नि0 50-99/2017 - 864

प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
पटना, अरवल, सारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, अररिया एवं मुंगेर।

पटना, दिनांक - 16/4/18

विषय : नगरपालिका उप-निर्वाचन 2018 : मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पटना जिलान्तर्गत पटना नगर निगम के वार्ड संख्या 29, नगर परिषद, दानापुर निजामत का वार्ड संख्या 15, नगर पंचायत, खुशरुपुर का वार्ड संख्या 4, अरवल जिलान्तर्गत नगर परिषद, अरवल के वार्ड संख्या 7, सारण जिलान्तर्गत नगर पंचायत एकमा के वार्ड संख्या 13, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत नगर पंचायत, पकड़ीदयाल के वार्ड संख्या 5, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत नगर परिषद, सीतामढ़ी के वार्ड संख्या 8, नगर पंचायत, डुमरा के वार्ड संख्या 3, भागलपुर जिलान्तर्गत नगर पंचायत, कहलगाँव के वार्ड संख्या 14, अररिया जिलान्तर्गत नगर परिषद, अररिया एवं मुंगेर अन्तर्गत नगर पंचायत, खड़गपुर के वार्ड संख्या 4 के रिक्त पद पर निर्वाचन कराये जाने का निर्णय आयोग द्वारा लिया गया है।

उक्त परिप्रेक्षय में निर्वाचन कराये जाने हेतु आयोग के पत्रांक 7281 दिनांक 07.12.2016 (पत्र संलग्न) से मतदाता सूची तैयारी के संबंध में दिये गये विस्तृत दिशा-निर्देश के आलोक में निम्न कार्यक्रम के आलोक में अर्हता तिथि 01.01.2018 के आधार पर मतदाता सूची की तैयारी की जायेगी :-

1. वार्ड-वार मतदाता सूची का विखंडन - 17.04.2018 से 25.04.2018
2. मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन - 26.04.2018 से 09.05.2018
3. दावा आपत्ति प्राप्त करना - 26.04.2018 से 09.05.2018
4. दावा आपत्ति का निष्पादन - 26.04.2018 से 16.05.2018
5. नये मतदाता की प्रविष्टि हेतु अनुमोदन - 18.05.2018 तक
6. मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन - 21.05.2018

अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम के अनुसार उक्त नगरपालिकाओं के रिक्त पद पर निर्वाचन कराये जाने हेतु मतदाता सूची की तैयारी करने की कृपा की जाय। मतदाता सूची से संबंधित डाटा प्राप्त करने हेतु किन्ही जिम्मेवार कर्मी को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय में प्रतिनियुक्त कर प्राप्त की जायेगा। कार्यक्रम को स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से सूचना सर्व साधारण हेतू प्रकाशित करा देंगे।

विश्वासभाजन,

16/4/18

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

D:\pm5\N_E_2017.pmd/350

ज्ञापांक- न0नि0 50-99/2017 - 864 पटना, दिनांक - 16/4/18

प्रतिलिपि, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि संबंधित जिला को नगरपालिका से संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची का डाटा उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

16/4/18

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

D:\pm5\N_E_2017.pmd/351

SP/EF 43857031771N
11-12-16

3104
15-12-16

(10)

अत्यावश्यक

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांक - न0नि0 50-84/2016 - 7281

प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
(अरवल एवं बेगुसराय छोड़कर)।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मुंगेर

पटना, दिनांक - 07.12.2016

विषय : नगरपालिका का आम निर्वाचन 2017 : मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के नगरपालिकाओं का आम निर्वाचन अप्रैल-मई, 2017 में सम्पन्न कराया जाना है। **जिन नगरपालिकाओं में इस वर्ष निर्वाचन कराया जाना है उसकी सूची इस पत्र के साथ संलग्न है। उसमें राज्य के 9 नगर निगम, 38 नगर परिषद तथा 76 नगर पंचायत शामिल हैं।**

2. बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के भाग ।। नियम 3 से 28 तक नगरपालिका निर्वाचन हेतु मतदाता सूची की तैयारी करने के संबंध में प्रावधान किये गये हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन मतदाता सूची की तैयारी का कार्य कराया जायेगा। बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 451 में नगरपालिका के निर्वाचक को परिभाषित किया गया है जिसे निम्नवत उद्धृत किया जाता है :-

> "**451. नगरपालिका का निर्वाचक** – राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की उस समय लागू निर्वाचक नामावली या नामावलियों का उतना भाग, जो किसी नगरपालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड से संबंधित हैं, में जिन व्यक्तियों के नाम – निर्वाचक के रूप में अंकित होंगे, वे सभी व्यक्ति संबंधित नगरपालिका निर्वाचन के निर्वाचक होंगे :
>
> परन्तु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग स्वप्रेरणा से अथवा किसी व्यथित व्यक्ति से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इस राय का हो कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण हैं, तो नगरपालिका से संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में ऐसा परिवर्त्तन करने का निदेश दे सकेगा, जो कि वह उचित समझे :
>
> परन्तु यह और कि इस अधिनियम की धारा 441 के अधीन राज्यपाल द्वारा नगरपालिका निर्वाचन की तिथि की अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात निर्वाचन नामावली में ऐसा कोई परिवर्त्तन नहीं किया जायेगा।"

मतदाता सूची तैयार करने में संलग्न सभी पदाधिकारी नियमावली एवं अधिनियम के उक्त प्रावधानों का भलीभाँति अध्ययन अवश्य कर लें। इससे गलती की कम संभावना रहेगी।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506626, 2506917, 2506644, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmail.com

3. उक्त प्रावधानों के अधीन नगरपालिका निर्वाचन में मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में आयोग का निम्नांकित दिशा-निर्देश संसूचित किया जाता है :-

(क) बिहार नगरपालिका निर्वाचन के **नियम 5** के प्रावधानों के तहत नगरपालिका आम निर्वाचन 2017 के निमित्त राज्य के प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रों के लिए वार्डवार मतदाता सूची की तैयारी हेतु आयोग के अधिसूचना संसूचित ज्ञापांक 7158 दिनांक 28.11.2016 से राज्य के अनुमंडल पदाधिकारियों को उनके क्षेत्र में पड़ने वाले नगर निकायों या उसके अंश के निबंधन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये निबंधन पदाधिकारी अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के अन्तर्गत मतदाता सूची की तैयारी से संबंधित सभी कार्यों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करेंगे। मतदाता सूची सही ढ़ंग से तैयार करने के लिए अन्ततः निबंधन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के **नियम 11** के प्रावधानों के अन्तर्गत आयोग के पत्रांक 7159 दिनांक 28.11.2016 से नगरपालिका निर्वाचन में मतदाता सूची की तैयारी में निबंधन पदाधिकारी की मदद हेतु रिवाईजिंग अथॉरिटी की नियुक्ति हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। निबंधक पदाधिकारी आवश्यकतानुसार रिवाईजिंग अथॉरिटी की नियुक्ति कर सकेंगे, किन्तु मतदाता सूची सही ढ़ंग से तैयार करने की पुरी जिम्मेवारी निबंधन पदाधिकारी की मानी जायेगी।

(ख) राज्य विधान सभा क्षेत्रों के लिए वर्त्तमान में प्रवृत्त मतदाता सूची 01.01.2017 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार की गयी है। इसी मतदाता सूची को आधार मानकर नगरपालिका अधिनियम की धारा 451 एवं नियमावली के नियम 3 से 28 के प्रावधानों के अनुसार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में नगर निकाय क्षेत्र में निवास करने वाले जिन व्यक्तियों का नाम मतदाता के रूप में अंकित होंगे, उन्हीं व्यक्तियों का नाम नगर निकाय हेतु तैयार की जाने वाली मतदाता सूची प्रारूप में सम्मिलित किया जा सकेगा। जिन व्यक्तियों के नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नहीं है, उनके दावा पर जाँचोपरान्त विचार किया जायेगा एवं आयोग की अनुमति से ही उनका नाम जोड़ा जायेगा।

(ग) बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के **नियम 4** के प्रावधान के अनुसार नगर निकाय के प्रत्येक वार्ड के लिए अलग-अलग मतदाता सूची तैयार की जायेगी। इस प्रकार तैयार की गई मतदाता सूची में नाम आदि हिन्दी में देवनागरी लिपि में लिखा जायेगा। इस प्रारम्भिक मतदाता सूची को प्रारूप मतदाता सूची के रूप में माना जायेगा। इस सूची में संबंधित वार्ड के क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले दिनांक 10.01.2017 को प्रकाशित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची के मतदाताओं का नाम, पता, आदि अंकित रहेगा।

(घ) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची मतदानकेन्द्र-वार तैयार की जाती है, जबकि नगर निकाय के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची वार्ड-वार तैयार की जानी है। यह संभव है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयर की गई मतदान केन्द्रवार मतदाता सूची में अंकित सभी मतदाता संबंधित नगर निकाय के एक ही वार्ड विशेष के न होकर एक से अधिक वार्ड के मतदाता हों। इसी प्रकार नगर निकाय की सीमा के अन्दर या बाहर ऐसे भी कुछ मतदान केन्द्र हो सकते हैं जिनके मतदाताओं का कुछ अंश नगर निकाय क्षेत्र के किसी एक या एक से अधिक वार्ड का हो, जबकि दूसरा अंश संबंधित नगर निकाय की सीमा के बाहर ग्रामीण क्षेत्र या दूसरे नगर निकाय के क्षेत्र का हो। ऐसी स्थिति में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गई मतदाता सूची का सिर्फ उतना अंश, जो संबंधित नगर निकाय क्षेत्र से संबंधित है, को ही उक्त नगर निकाय के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची का आधार माना जायेगा। मुख्यतः निम्न विन्दुओं के आधार पर वार्ड-वार मतदाता सूची तैयार की जायेगी :-

(i) बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के आलोक में मतदाता सूची की तैयारी पर हुए व्यय का वहन नगरपालिका द्वारा किया जायेगा।

(ii) 10.01.2017 को प्रकाशित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में जिनका नाम अंकित है सिर्फ उनका ही नाम नगर निकाय के चुनाव हेतु वार्ड-वार प्रारुप मतदाता सूची में शामिल किया जायेगा;

(iii) नगर निकाय के किसी वार्ड विशेष की प्रारूप मतदाता सूची में उसी मतदाता को शामिल किया जायेगा जो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टियों के अनुसार नगर निकाय के संबंधित वार्ड विशेष का निवासी हो;

(iv) राज्य के प्रत्येक नगर निकाय के प्रत्येक वार्ड की चौहद्दी स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है एवं प्रत्येक जिला में यह संधारित है। नगरपालिका अधिनियम में किये गये संशोधनों के फलस्वरूप इस आम निर्वाचन में नगरपालिका के वार्डों के गठन में कोई भी परिवर्त्तन नहीं किया जाना है। मतदाता सूची तैयार करने में संलग्न कर्मी सर्वप्रथम उस वार्ड के लिए निर्धारित चौहद्दी एवं पिछले आम चुनाव से उस वार्ड के लिए निर्धारित मतदान केन्द्र का स्थल निरीक्षण अवश्य कर लेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि मतदाता सूची वार्डवार तैयार की जानी है एवं हर संभव प्रयास किया जाना है कि एक वार्ड का मतदान केन्द्र उसी वार्ड में स्थापित हो सके। किसी भी परिस्थिति में एक वार्ड के मतदाता को दूसरे वार्ड के मतदान केन्द्र से सम्बद्ध नहीं किया जायेगा। ऐसी गलती से निर्वाचन प्रक्रिया दूषित हो जायेगी। पिछले नगरपालिका आम निर्वाचन में कुछ जिलों से ऐसी गलती की शिकायतें प्राप्त हुई थीं जो जाँच में सही पायी गई थी और आयोग को मतदाता सूची में इस तरह की गलतियों को सुधार करने में काफि कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था। आयोग चाहता है कि इसबार ये गलती नहीं दुहरायी जाय। अतः प्रत्येक अनुमंडल पदाधिकारी सह निबंधन पदाधिकारी (नगरपालिका) यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी गलती नहीं हो पाये। **पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी गलती पाये जाने पर निबंधन पदाधिकारी एवं संलग्न अन्य कर्मियों पर आयोग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जायेगी।**

(v) नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के लिए 01.01.2017 की अर्हता तिथि पर प्रवृत्त मतदाता सूची के आधार पर वार्डों के मतदाता सूची का निर्माण किया जायेगा। बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 451 के अनुसार राज्य विधानसभा क्षेत्रों के लिए तैयार की गई मतदाता सूची पर ही वार्डवार मतदाता सूची के विखण्डीकरण का कार्य किया जाता है। वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है। इसका प्रारूप प्रकाशन हो चुका है, दावा-आपत्ति प्राप्त किया जा रहा है एवं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 10.01.2017 को किया जायेगा। प्रारूप प्रकाशित की गई मतदाता सूची पर ही दावा/आपत्ति प्राप्ति के उपरान्त अनुपूरक-1 के रूप में मूल मतदाता सूची के साथ अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जायेगी। इससे स्पष्ट है कि प्रारूप प्रकाशन की गई सूची ही मूल मतदाता सूची रहेगी। गत निर्वाचनों के आधार पर नगरपालिका निर्वाचन हेतु मतदाता सूची की तैयारी में विशेष सावधानियाँ बरते जाने की आवश्यकता है और उसके विखण्डीकरण में ज्यादा समय दिया जाय। इसी परिप्रेक्ष्य में आयोग का निर्णय है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के लिए मतदाता सूची की तैयारी का कार्य दो चरणों में किया जाय।

प्रथम चरण में भारत निर्वाचन आयोग के प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर नगरपालिका क्षेत्राधीन पड़ने वाले मतदाता सूची में मतदातावार वार्ड अंकित किया जाय अर्थात् प्रत्येक मतदाता का सर्वे द्वारा किस वार्ड के निवासी हैं, यह कार्य अंकित किया जाय और दूसरे चरण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन 10.01.2017 के बाद आयोग द्वारा प्रदत्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से और उपलब्ध सॉफ्टवेयर डाटावेस से मतदाता सूची को विखण्डीकृत करके छपाई कराई जाय और उसका प्रारूप प्रकाशन कर उस पर दावा/ आपत्ति प्राप्त किया जाय।

(vi) इसवार नगरपालिका निर्वाचन के निमित्त मतदाता सूची की तैयारी आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये सॉफ्टवेयर की मदद से की जायेगी। इस सॉफ्टवेयर की मदद से मतदाता सूची प्रारूप तैयार करने के पूर्व आयोग द्वारा विहित ``प्रपत्र -क" में विधान सभा की मतदाता सूची से नगरपालिका के वार्डवार मतदाता सूची का

विखंडन किया जायेगा। निबंधन पदाधिकारी इस कार्य हेतु कर्मियों की नियुक्ति करेंगे एवं कार्य सम्पन्न करायेंगे। नियुक्त ये कर्मी आवंटित वार्ड में जाकर वहाँ स्थानीय नागरिकों की मदद से उस वार्ड की चौहद्दी के अ[illegible] के मतदाता को प्रपत्र-क में अंकित करेंगे। इस "प्रपत्र-क" के आधार पर आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये सॉफ्टवेयर की मदद से डाटा प्रविष्टि की जायेगी एवं सी.डी. आयोग को उपलब्ध करायी जायेगी। आयोग द्वारा सी.डी. की जाँच के पश्चात ही मतदाता सूची प्रारूप का प्रकाशन किया जायेगा। **मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन आम जन की जानकारी हेतु आयोग के वेवसाईट पर भी किया जायेगा जिसमें सर्च एवं प्रिन्ट की भी सुविधा रहेगी।**

(ङ) इस प्रकार तैयार की गई प्रारूप मतदाता सूची को बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के नियम 9 एवं 12 के प्रावधानों के अनुसार निबंधन पदाधिकारी द्वारा संलग्न प्रपत्र-1 में सूचना जारी कर निम्नलिखित स्थानों पर आयोग द्वारा दिये गये कार्यक्रम के अनुसार आम सूचना एवं निरीक्षण हेतु प्रकाशित किया जाएगा :-

(1) संबंधित नगर निकाय के मुख्य कार्यालय,
(2) नगर निकाय के अंचल कार्यालय, यदि कोई हों, तो वहाँ,
(3) वार्ड क्षेत्र अन्तर्गत स्थित थाना अथवा थाना जिसके क्षेत्रान्तर्गत वार्ड या वार्ड का अंश स्थित है,
(4) वार्ड क्षेत्रान्तर्गत डाकघर
(5) नगर निकाय बाजार एवं आम वाचनालय तथा आम पुस्तकालय, जहाँ निबंधक पदाधिकारी समझें।

इसके आलावा निबंधन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन नगर निकाय के प्रत्येक वार्ड में ढ़ोल पिटवाकर नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर आम इश्तहार चिपकाकर आमजन को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में प्रकाशित स्थानों की जानकारी दी जायेगी ताकि आमजन उसका निरीक्षण कर सकें। निबंधन पदाधिकारी द्वारा नियम - 12 के तहत् एक स्थानीय हिन्दी दैनिक में प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति भी दी जायेगी।

वार्डवार मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी सर्वसाधारण को समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से दी जायेगी।

(च) ऊपर उप-कण्डिका (ङ) के अनुसार प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची के बारे में कोई भी व्यक्ति अपने दावे अथवा आपत्तियाँ संबंधित वार्ड के रिवाईजिंग अथॉरिटी या निबंधन पदाधिकारी के समक्ष संलग्न **प्रपत्र-2, 2(A)** अथवा **प्रपत्र-3** में प्रारूप प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के अन्दर दे सकता है।

(छ) आयोग द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2016 की तरह इसबार नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 में भी आयोग के वेवसाइट पर मतदाता से संबंधित ऑनलाईन दावा एवं आपत्ति करने की व्यवस्था की गयी है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद मतदाता सूची में परिवर्द्धन, विलोपन एवं संशोधन करने हेतु कोई व्यक्ति चाहे तो आयोग के वेवसाईट www.sec.bihar.gov.in के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन दे सकेगा। ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होते ही आवेदनकर्त्ता को प्राप्ति रसीद एक यूनिक नम्बर के साथ जेनरेट होकर प्राप्त होगी एवं आवेदन पत्र संबंधित जिले को उनके ई-मेल पर आयोग द्वारा भेजा जायेगा। जिला पदाधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदनों को संबंधित निबंधन पदाधिकारी को तुरत उपलब्ध करा देंगे जो ससमय इनका निष्पादन सुनिश्चित करेंगे एवं अनुपालन प्रतिवेदन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के माध्यम से आयोग को भेजेंगे।

(ज) रिवाईजिंग अथॉरिटी की नियुक्ति के बारे में आयोग के पत्रांक 7159 दिनांक 28.11.2016 द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जा चुका है। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि नगर निकाय के किसी भी

(08)

पदाधिकारी या कर्मचारी को रिवाईजिंग अथॉरिटी के रूप में नहीं नियुक्त किया जायेगा। निबंधन पदाधिकारी या रिवाईजिंग अथॉरिटी द्वारा माँग किये जाने पर संबंधित नगर निकाय के प्रशासक/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के बारे में नगर निकाय कार्यालय में उपलब्ध सभी आवश्यक अभिलेख आदि निबंधन पदाधिकारी/ रिवाईजिंग अथॉरिटी को उपलब्ध कराया जायेगा तथा उन्हें उनका दायित्व सही तरीके से निभाने के लिए सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगा।

(झ) संलग्न **प्रपत्र–ग** में एक पंजी का संधारण किया जायेगा जिसमें रिवाईजिंग अथॉरिटी एवं निबंधन अधिकारी के समक्ष दिये गये दावे/ आपत्तियों के बारे में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाएंगी तथा **प्रपत्र–2/प्रपत्र–2(A)/ प्रपत्र–3** के निचले भाग में विहित प्रपत्र में दावा/ आपत्ति कर्त्ता को प्राप्ति रसीद दी जायेगी। **उक्त (छ) में वर्णित ऑनलाईन प्राप्त दावा/आपत्तियों को इसी पंजी में अलग क्रम संख्या देकर संधारित किया जायेगा।**

रिवाईजिंग अथॉरिटी अपने समक्ष दायर किये गये दावा/ आपत्ति एवं ऑनलाईन प्राप्त दावा/ आपत्ति के संबंध में संलग्न **प्रपत्र–4 / प्रपत्र– 5** में दावा/ आपत्ति कर्त्ता को एक सूचना देंगे जिसमें दायर किये गये दावे/ आपत्ति की सुनवाई की तिथि, समय तथा स्थान का उल्लेख रहेगा। रिवाईजिंग अथॉरिटी निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर दावा/ आपत्तियों की सुनवाई करेंगे एवं आवश्यक हुआ तो वार्ड के भौगोलिक सीमा का भ्रमण कर इन दावा/ आपत्तियों का निष्पादन करेंगे। **स्पष्ट किया जाता है कि दावा/आपत्ति कर्त्ता को इस सुनवाई में वकील की सहायता प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।** अगर कोई आपत्ति/ दावा निबंधन पदाधिकारी के समक्ष दायर किया गया हो तो उस दावे/ आपत्ति को संबंधित रिवाईजिंग अथॉरिटी के समक्ष अविलम्ब निष्पादन हेतु भेज दिया जायेगा।

(ञ) **दावे एवं आपत्तियाँ किस आधार पर दी जायेंगी** – दावे एवं आपत्तियाँ निम्न आधार पर ही दी जा सकेंगी –

(1) विधान सभा की मतदाता सूची में नाम है, किन्तु बिखंडन के पश्चात तैयार की गई वार्डवार मतदाता सूची में नाम अंकित नहीं है।

(2) विखंडन में त्रुटियों के कारण एक वार्ड के मतदाता का नाम उसी नगर निकाय के दूसरे वार्ड में अंकित हो गया हो।

(3) विधान सभा की मतदाता सूची में नाम अंकित नहीं है किन्तु वार्डवार विखंडन के समय या मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशन के समय नगरपालिका की मतदाता सूची में स्वतः नाम जोड़ दिया गया है।

(4) विधान सभा मतदाता सूची में ही निर्वाचक का नाम उसका निवास वार्ड संख्या में न होकर उसी नगर निकाय के अन्य वार्ड में अंकित हो गया है।

(5) मतदाता सूची में मृत व्यक्ति का नाम अंकित है।

(6) मुद्रण की भूल के कारण निर्वाचक अथवा उसके पिता/ पति/ लिंग/ उम्र/ फोटो आदि में कतिपय संशोधन की आवश्यकता है।

(7) किसी व्यक्ति का नाम किसी वार्ड विशेष के लिए प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची से हटाने के लिए।

(8) 01.01.2017 को अठारह वर्ष की आयु पुरी हो रही हो।

(9) क्षेत्र विशेष का मतदाता बनने की योग्यता रखते हों, किन्तु उनका नाम विधानसभा मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

अधिनियम की धारा–451 के प्रथम परन्तुक के आलोक में राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा विशिष्ट आदेश दिये जाने पर ही नगर निकायों के निर्वाचन हेतु तैयार की जा रही मतदाता सूची में वैसे व्यक्ति/

व्यक्तियों का नाम जोड़ा जा सकेगा जिनका नाम तत्समय प्रवृत्त विधान सभा के लिए तैयार मतदाता सूची में नहीं है। सक्षम आदेश प्राप्त किये बिना किसी भी परिस्थिति में जिला पदाधिकारी या उनके अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रवृत्त मतदाता सूची के आधार पर नगर निकायों के निर्वाचन हेतु तैयार की जा रही मतदाता सूची में किसी नये व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ा जायेगा। उक्त उप-कंडिका (1), (2), (3), (4), (5), (6) एवं (7) के लिए आयोग के आदेश की आवश्यकता नहीं है। निबंधन पदाधिकारी/रिवाईजिंग अथॉरिटी इसके लिए सक्षम होंगे किन्तु उक्त उप-कंडिका (4) के लिए उन्हें एक वार्ड से नाम हटाने एवं दूसरे वार्ड में नाम जोड़ने संबंधी दो आवेदन प्राप्त करने होंगे एवं दोनों के संदर्भ में संबंधित रिवाईजिंग अथॉरिटी का आदेश पारित करना होगा। उक्त उप-कंडिका (8) एवं (9) के आधार पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के पूर्व आयोग की स्वीकृति आवश्यक होगी।

(ट) कुछ ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिसमें आवासीय पता बदलने के कारण एक विशेष वार्ड के लिए प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूची से दूसरे वार्ड की मतदाता सूची में नाम स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया गया हो। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार का अनुरोध प्राप्त होने पर रिवाईजिंग अथॉरिटी द्वारा संबंधित व्यक्ति को यह स्पष्ट कर दिया जायेगा कि इस प्रकार के स्थानान्तरण आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। ऐसे मामलों में आवेदक एक वार्ड विशेष की मतदाता सूची से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन दे सकता है और यदि वे चाहें तो दूसरे वार्ड, जहाँ वे मतदाता होने का दावा करते हो, कि मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने हेतु अलग दावा संबंधित वार्ड के रिवाईजिंग अथॉरिटी के समक्ष दायर कर सकते हैं। अर्थात उन्हें दो आवेदन देना होगा, एक वर्त्तमान वार्ड की मतदाता सूची से अपना नाम हटाने के बारे में और एक आवेदन दूसरे वार्ड, जहाँ की मतदाता सूची में वे अपना नाम दर्ज कराना चाहते हों, के रिवाईजिंग अथॉरिटी के समक्ष अपना नाम दर्ज करने के लिए।

(ठ) अगर भूलवश या अज्ञानतावश एक वार्ड विशेष से संबंधित दावे या आपत्ति दूसरे वार्ड के रिवाईजिंग अथॉरिटी के समक्ष दायर कर दिया गया हो, तो इस परिस्थिति में रिवाईजिंग अथॉरिटी, जिनके समक्ष इस प्रकार के दावे या आपत्तियों को दायर किया गया हो, अविलम्ब उसे निबंधन पदाधिकारी को भेज देंगे जो कि उसे संबंधित वार्ड के रिवाईजिंग अथॉरिटी के पास निष्पादन हेतु भेजेगा।

(ड) निबंधन पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर आम सूचना के माध्यम से जानकारी दी जायगी कि विभिन्न वार्डों के रिवाईजिंग अथॉरिटी द्वारा किस तिथि, समय, स्थान/स्थानों पर दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई की जायेगी। रिवाईजिंग अथॉरिटी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे निबंधन पदाधिकारी द्वारा पूर्व घोषित समय सारणी के अनुसार प्राप्त सभी दावे एवं आपत्तियों का निष्पादन निश्चित रूप से करें। इस प्रकार सुनवाई के दौरान रिवाईजिंग अथॉरिटी द्वारा आवश्यक छान-बीन की जायेगी तथा किसी दावे या आपत्तियों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के बारे में अपना आदेश पारित किया जायेगा। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार की सुनवाई के दौरान वकील की सहायता अनुमान्य नहीं है।

(ढ) रिवाईजिंग अथॉरिटी कतिपय मामले में स्वप्रेरणा से भी प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन/शुद्धिकरण कर सकता है। ऐसा मतदाता, जो दिनांक 01.01.2017 के पश्चात मतदाता होने के लिए अयोग्य हो गया हो या उस तिथि के पश्चात जिसकी मृत्यु हो गई हो या जिसका नाम एक ही वार्ड के अन्दर एक से अधिक जगह पर दर्ज हो या जिसका नाम एक से अधिक वार्ड की प्रारूप मतदाता सूची में अंकित हो गया है, का नाम संबंधित मतदाता सूची से हटाया जा सकता है।

(i) किसी मतदाता की मृत्यु के संबंध में पुष्ट सूचना प्राप्त हो जाने पर ही उसका नाम मतदाता सूची से हटाया जाना चाहिए।

(ii) अगर कोई मतदाता नगर निकाय क्षेत्र से अन्यत्र प्रवास करने हेतु चला गया हो अथवा किसी आपराधिक मामले में वारंटी होने के कारण अपने सामान्य निवास स्थान पर छः महीने से अधिक अवधि से नहीं रह रहा हो, तो पूरी पड़ताल कर वैसे व्यक्तियों का नाम भी मतदाता सूची से हटाया जा सकता है।

पर इस प्रकार का आदेश पारित करने से पहले रिवाईजिंग अथॉरिटी द्वारा, यदि ऐसा करना संभव हो सके, ऐसे व्यक्ति, जिनके बारे में रिवाईजिंग अथॉरिटी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वे मतदाता होने के लिए अयोग्य हो गये हों, को सुनवाई का मौका दिया जायेगा।

(iii) विधान सभा मतदाता सूची में प्रविष्ट के कारण किसी वार्ड विशेष के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में यदि एक ही मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर अंकित किया गया है तो इस प्रकार के मामले में निबंधन पदाधिकारी/रिवाईजिंग अथॉरिटी के ध्यान में लाये जाने की स्थिति में यदि यह व्यवहारिक हो सके तो संबंधित मतदाता से पूछ लिया जायेगा कि वे अपना निवास स्थान के अनुसार मतदाता सूची की कौन-सी प्रविष्टि कायम रखना चाहते हैं और तदनुसार मतदाता की संबंधित प्रविष्टि को बरकरार रखा जायेगा और शेष प्रविष्टियाँ खारिज कर दी जायेगी। पर यदि समयाभाव में मतदाता से सम्पर्क करना संभव नहीं हो सके तो उस स्थिति में एक से अधिक प्रविष्टियों में से जो प्रविष्टि क्रमानुसार सबसे ऊपर में है, की प्रविष्टि को बरकरार रखा जायेगा। मान लिया जाय कि मतदाता देवदत्त का नाम नगर निकाय, ''क'' के वार्ड संख्या-3 की मतदाता सूची के क्रमांक 1058, 2035 तथा 2501 पर अंकित है तो ऐसी स्थिति में मतदाता सूची के क्रमांक 1058 की प्रविष्टि बरकरार रहेंगी तथा शेष दो क्रमांक, यथा, 2035 एवं 2501 की प्रविष्टियाँ खारिज कर दी जायेगी। परन्तु यदि मतदाता देवदत्त स्वयं क्रमांक 2035 की प्रविष्टि बरकार रखना चाहते हैं तो तदनुसार उनका अनुरोध मान लिया जायेगा और शेष क्रमांक यानी 1058 एवं 2501 की प्रविष्टियाँ खारिज कर दी जाएँगी। अगर मतदाता सूची के वार्डवार विखंडन की त्रुटियों के कारण किसी मतदाता का नाम उसी वार्ड में एक से अधिक जगह दर्ज हो गया है तो उसके लिए मतदाता को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। विधान सभा की मतदाता सूची के जिस क्रमांक पर उस मतदाता का नाम है उसे रखा जायेगा शेष को विलोपित कर दिया जायेगा।

(iv) विधान सभा मतदाता सूची में प्रविष्ट के कारण किसी एक मतदाता का नाम यदि एक से अधिक वार्ड की मतदाता सूची में अंकित हो गया है तो, यदि यह व्यवहारिक रूप से संभव हो सके तो, संबंधित मतदाता द्वारा एक घोषणा निबंधन पदाधिकारी के समक्ष दी जायेगी जिसमें उनके द्वारा यह स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि वे किस वार्ड विशेष के मतदाता के रूप में अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। तदनुसार उन्हें संबंधित वार्ड के लिए मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा और शेष वार्ड की मतदाता सूची में से उनका नाम खारिज कर दिया जायेगा। अगर मतदाता सूची के वार्डवार विखंडन की त्रुटियों के कारण किसी मतदाता का नाम एक से अधिक वार्ड में दर्ज हो गया है तो उसके लिए मतदाता को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। विधान सभा की मतदाता सूची के अनुसार जिस वार्ड में उस मतदाता का नाम दर्ज है उसे रखा जायेगा शेष को विलोपित कर दिया जायेगा।

(ण) ऊपर वर्णित प्रक्रिया के फलस्वरूप प्रारूप मतदाता सूची में यदि कोई संशोधन आवश्यक हो तो उसके बारे में रिवाईजिंग अथॉरिटी द्वारा अपना निर्णय निबंधन पदाधिकारी को संसूचित किया जायेगा और तदनुसार प्रारूप मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

स्पष्ट किया जाता है कि अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में बिना राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को अपने स्तर पर यह महसूस होता हो कि कुछेक मामलों में स्पष्ट विसंगति/त्रुटि परिलक्षित हो रही है तथा उनका परिमार्जन आवश्यक है, तो वे पूरे तथ्यों का उल्लेख करते हुए अपने स्पष्ट मंतव्य के साथ आयोग को प्रतिवेदन भेजेंगे अथवा आयोग से प्राप्त निदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

साधारणतया जिला स्तर पर अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने का कोई आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा न ही उसे आवश्यक कार्रवाई हेतु आयोग को अग्रसारित किया जाएगा। अगर वैसे व्यक्ति जिला स्तर पर एप्रोच करते हैं तो उन्हें अपने दावों एवं आपत्तियों को आयोग के यहाँ दाखिल करने का परामर्श दिया जाना चाहिए।

4. वार्ड-वार मतदाता सूची तैयार करने, दावा/आपत्ति दर्ज करने, सूचना देने, आदि के बारे में भिन्न-भिन्न प्रपत्र विहित किये गए हैं, जिसकी नमूना प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। नियमावली के प्रावधानों के अनुसार रिवाईजिंग अथॉरिटी द्वारा और भी कुछ मामले में (जैसे, मतदाता सूची की प्रविष्टि में शुद्धिकरण, एक से अधिक वार्ड के मतदाता सूची में दर्ज मतदाता को किसी एक विशेष वार्ड के मतदाता सूची में नाम रखने का विकल्प, रिवाईजिंग अथॉरिटी/निबंधन अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से मतदाता सूची से नाम हटाना, प्रविष्टि में शुद्धिकरण करना, आदि) कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई प्रपत्र विहित नहीं किया गया है। ऐसे मामले में रिवाईजिंग अथॉरिटी अपनी सुविधानुसार सादे कागज में आवेदन प्राप्त कर कार्रवाई कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार संबंधित मतदाता को इसी प्रकार सादे कागज में भी सूचना दे सकते हैं।

5. जिला द्वारा विहित प्रपत्रों का मुद्रण स्थानीय तौर पर किया जायेगा और इस प्रकार मुद्रण में जो खर्च आयेगा उसका वहन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जायेगा। निबंधन पदाधिकारी द्वारा दावे/आपत्ति करने वाले को विहित प्रपत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

6. अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची को पर्याप्त प्रतियों में यथाशीघ्र मुद्रित किया जाएगा और इस प्रकार अंतिम प्रकाशित वार्ड-वार मतदाता सूची की तीन प्रतियाँ संबंधित नगर निकाय के प्रधान कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएँगी।

7. मतदाता सूची की तैयारी तथा उसके प्रारूप एवं अंतिम सूची को मुद्रित कराने में जो खर्च आयेगा, उसका वहन भी संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार मुद्रित प्रारूप/अन्तिम मतदाता सूची की प्रतियाँ आम जनता को भी बिक्री की जा सकती है। मुद्रित मतदाता सूची का विक्रय मूल्य का निर्धारण संबंधित नगर निकाय के प्रशासक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। मतदाता सूची की बिक्री से प्राप्त आय संबंधित नगर निकाय के खाता में जमा की जाएगी।

8. मतदाता सूची की तैयारी, उसके प्रारूप प्रकाशन के दौरान दावा या आपत्तियों का निष्पादन, मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन आदि सभी प्रक्रियाए संलग्न समय-सारणी के अनुसार पूरी की जायेंगी। अनुरोध है कि सभी आवश्यक कार्रवाईयाँ तद्नुसार सुनिश्चित करने की कृपा की जाए।

9. निदेशानुसार अनुरोध है कि इस पत्र की पर्याप्त प्रतियाँ अपने स्तर पर तैयार कर सभी संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करा देने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन
7/12/016
संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक - न.नि. 50-84/2016 - 7281 पटना, दिनांक -07.12.2016

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/12/016
संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक - न.नि. 50-84/2016 - **7281** पटना, दिनांक - **07.02.2016**

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक - न.नि. 50-84/2016 - **7281** पटना, दिनांक - **07.12.2016**

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

मतदाता सूची की तैयारी के विभिन्न प्रक्रमों की समय-सारणी।

प्रथम चरण

क्रमांक	कार्य का विवरण		अवधि
1.	मूल मतदाता सूची का गृहवार चिह्नीतीकरण	–	08.12.2016 से 29.12.2016
2.	विखण्डीकरण – चेकलिस्ट की तैयारी	–	30.12.2016
3.	मतदाता सूची की पूरक प्रति का विखण्डीकरण	–	19.01.2017 से 25.01.2017
4.	पर्यवेक्षक द्वारा 10 प्रतिशत का सत्यापन	–	04.01.2017 से 11.01.2017

द्वितीय चरण

क्रमांक	कार्य का विवरण		अवधि
1.	मतदाता सूची सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण	–	12.01.2017
2.	जिलों को सॉफ्टवेयर दिया जाना	–	17.01.2017
3.	जिलों को मतदाता सूची का डाटावेस दिया जाना	–	17.01.2017 से 20.01.2017
4.	जिला द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदाता सूची का विखण्डीकरण	–	20.01.2017 से 28.01.2017
5.	आयोग में विखंडीकृत जिला के मतदाता सूची के डाटाबेस की जाँच	–	03.02.2017 से 06.02.2017
6.	मतदाता सूची का पी.डी.एफ. निर्माण	–	08.02.2017
7.	मतदाता सूची की प्रारूप प्रति की छपाई	–	11.02.2017
8.	प्रारूप प्रकाशन	–	14.02.2017
9.	दावा/आपत्ति	–	14.02.2017 से 28.02.2017
10.	दावा आपत्ति निष्पादन	–	22.02.2017 से 07.03.2017
11.	मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	–	17.03.2017 से 20.03.2017

(05)

प्रपत्र–1

[देखिये नियम 12(1)]

सूचना

.... के वार्ड संख्या .... की मतदाता सूची
(नगरपालिका का नाम)

एतद् द्वारा उपरोक्त वार्ड का प्रारूप मतदाता सूची को सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। इस सूची में नाम दर्ज करने के लिए सभी दावा प्रपत्र-2 में तथा सूची में दर्ज नाम के विरूद्ध सभी आपत्तियाँ प्रपत्र-3 में दिनांक .... तक दायर की जा सकेगी।
(तिथि -माह-200)

रिवाईजिंग अथॉरिटी, जिनके समक्ष ऐसे दावे एवं आपत्तियाँ दायर की जा सकती हैं, ... (नाम एवं पदनाम अंकित करें) .... है, जिनका पता .... ।

दावे एवं आपत्तियाँ रिवाईजिंग अथॉरिटी को संबोधित किये जायेंगे तथा या तो इस सूचना में विनिर्दिष्ट रिवाईजिंग अथॉरिटी के समक्ष उपस्थापित किये जायेंगे या डाक द्वारा इस प्रकार भेजे जायेंगे ताकि उन्हें दिनांक .... तक प्राप्त हो सके।

स्थान :

दिनांक : निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

<u>नगरपालिका निर्वाचन</u>

प्रपत्र – क

(मतदाता सूची विखंडन हेतु)

जिला का नाम :

नगरपालिका का नाम :

क्रम संख्या	वार्ड संख्या संख्या	मुहल्ला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या/ भाग संख्या	विधान सभा का मतदाता क्रमांक		कुल मतदाता
				कहाँ से	कहाँ तक	
1	2	3	4	5	6	7

स्थान :

दिनांक : रिवाईजिंग अथॉरिटी निबंधन पदाधिकारी

(04)

प्रपत्र–2

[देखिये नियम 12(2)]

.... नगरपालिका के वार्ड संख्या .... की मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु दावा

सेवा में,

निबंधन पदाधिकारी/ रिवाईजिंग अथॉरिटी

....

(नगरपालिका का नाम)

वार्ड संख्या ....

महाशय,

मैं प्रार्थना करता/ करती हूँ कि उक्त नगरपालिका क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए। नगरपालिका निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने के लिए मेरे दावे के समर्थन में ब्योरा नीचे दिये गये है :-

मैं #... पिता/ पति ....

जो नगरपालिका .... के वार्ड संख्या .... मुहल्ला ....

डाक घर .... थाना .... जिला ....

का निवासी हूँ;

मैं भारत का नागरिक हूँ तथा दिनांक 1 जनवरी 2017 को मेरी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है तथा उपरोक्त वार्ड में

सामान्यतया $... में 180 दिनों से अन्यून दिनों

(गली/ मुहल्ला का नाम)

से निवास करता/ करती हूँ। मेरे द्वारा किसी अन्य वार्ड में नाम दर्ज करने के लिए किसी अन्य पते पर दावा नहीं किया गया है।

उपरोक्त कथन के समर्थन में मेरे द्वारा निम्नांकित कागजातों की मूल/ सत्यापित प्रतियाँ इस दावे के साथ समर्पित की जाती है :-

(i)

(ii)

(iii)

घोषणा

मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरा नाम किसी अन्य क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। ऊपर उल्लिखित तथ्य और विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

स्थान :

दिनांक : दावाकर्त्ता का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

*दावाकर्त्ता की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर

पूरा नाम अंकित करें।

$ पूर्ण पता अंकित करें।

*यदि दावाकर्त्ता द्वारा स्वयं हस्ताक्षर नहीं किया जाता हो तो उस स्थिति में दावा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रत्येक मामले में ततसंबंधी प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

दावा की प्राप्ति रसीद

श्री/ श्रीमती/ सुश्री ...., जो ....के

(नगरपालिका का नाम)

वार्ड संख्या .... डाक घर ....थाना ....जिला ....

के निवासी हैं, का मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु दायर दावा की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

स्थान :

तिथि : रिवाईजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर

प्रपत्र–2(A)
किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आक्षेप

सेवा में,

निबंधन पदाधिकारी/ रिवाईजिंग अथॉरिटी

....
(नगरपालिका का नाम)

वार्ड संख्या ....

महोदय,

मैं निवेदन करता/ करती हूँ कि मुझसे सम्बद्ध प्रविष्टि जो.. (नगरपालिका का नाम) के वार्ड संख्या .... के प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूची के क्रमांक ....पर ``...'' के रूप में दी हुई है, शुद्ध नहीं है। उसे शुद्ध कर दिया जाय जिससे वह निम्नलिखित रूप में पढ़ी जाय ....

``...

....

....

स्थान .... निर्वाचक के हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान

तारीख ....

आवेदन की रसीद

श्री/ श्रीमती/ कुमारी..जो ....का/ की निवासी है, प्रविष्टि की शुद्धि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ ।

स्थान : रिवाईजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर

तारीख ....

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

(03)

प्रपत्र–3

[देखिये नियम 12(2)]

मतदाता सूची में दर्ज नाम के विरूद्ध आपत्ति

सेवा में,

निबंधन पदाधिकारी/ रिवाईजिंग अथॉरिटी

....
(नगरपालिका का नाम)

वार्ड संख्या ....

महाशय,

मैं उक्त नगरपालिका के वार्ड संख्या .... के लिए प्रकाशित प्रारूप निर्वाचन नामावली में नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति करता/ करती हूँ। मेरे आपत्ति/ आक्षेप के समर्थन में विशिष्टियाएँ नीचे दी जा रही हैं :-

मैं सूचित करता/ करती हूँ कि श्री/ श्रीमती/ सुश्री* .... जिनका नाम, ... (नगरपालिका का नाम) के वार्ड संख्या .... थाना ....,की मतदाता सूची के क्रमांक ....पर अंकित है, पर मेरी आपत्ति है।

मेरी आपत्ति का आधार :-

है, जिनके संबंध में मैं इस आपत्ति के साथ निम्नांकित कागजातों की मूल प्रति/ सत्यापित प्रति समर्पित करता/ करती हूँ।

घोषणा

मैं यह घोषणा करता/ करती हूँ कि इस आपत्ति में अंकित ऊपर उल्लिखित तथ्य और विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

मतदाता सूची का क्रमांक -
वार्ड संख्या -
नगरपालिका का नाम -
दिनांक -

आपत्तिकर्त्ता का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान
वर्त्तमान पता -

*यहां नाम अंकित करें जैसा कि मतदाता सूची में है।

नोट : कोई भी व्यक्ति जो झूठी घोषणा करता है या सूचना देता है जिसके बारे में वह जानता है या उसे विश्वास है कि वह झूठ है या सत्य नहीं होने का विश्वास करता है, को भा.द.वि. की धारा 182 या/ और धारा 199 तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 474 अन्तर्गत दंडित किया जा सकता है।

....

आपत्ति की प्राप्ति रसीद

श्री/ श्रीमती/ सुश्री ...., जो .... (गली/मुहल्ला का नाम)

वार्ड संख्या .... डाक घर ....थाना ....जिला ....

के निवासी हैं, के द्वारा मतदाता सूची में दर्ज नाम के विरूद्ध दायर आपत्ति की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

स्थान :
तिथि :

रिवाईजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर

प्रपत्र– 4
(देखिये नियम 16)

सूचना

सेवा में,

____

____

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि .... नगरपालिका के वार्ड संख्या .... की मतदाता सूची के सम्बन्ध में आपके दावा/आपत्ति की सुनवाई दिनांक .... को .... बजे .... पर की जायेगी तथा आपको निदेश दिया जाता है
(स्थान का नाम)
कि सुनवाई के समय ऐसे साक्ष्यों, जिन्हें आप देना चाहते हों, के साथ उपस्थित हों।

स्थान :

तिथि : रिवाईजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि इस सूचना को मेरे द्वारा दिनांक .... को श्री/श्रीमती/श्री* .... पर दावा या आपत्ति करते समय/मकान पर चिपकाकर/निजी तौर पर विधिवत तामिल किया गया।

स्थान : रिवाईजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर

दिनांक :

---

* यहाँ उस व्यक्ति का नाम अंकित करें जिसपर सूचना तामिल की गई है।

(02)

प्रपत्र–5

(देखिये नियम 17)

सूचना

सेवा में,

____

वार्ड संख्या- .... नगरपालिका का नाम - ....

चूंकि श्री/श्रीमती/सुश्री* .... वार्ड संख्या .... द्वारा .... नगरपालिका के वार्ड संख्या .... की मतदाता सूची में दर्ज आपके नाम के विरूद्ध .... आधार पर आपत्ति की गई है, अतः एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि उक्त आपत्ति की सुनवाई दिनांक .... को .... बजे .... (स्थान का नाम) पर की जायेगी। आपको निदेशित किया जाता है कि सुनवाई के समय ऐसे साक्ष्यों, जिन्हें आप देना चाहते हों, के साथ उपस्थित हों ।

स्थान : रिवाईजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर

दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि इस सूचना को मेरे द्वारा दिनांक .... को श्री/श्रीमती/सुश्री ** .... पर निजी तौर पर/ मकान पर चिपकाकर विधिवत तामिल किया गया।

स्थान : रिवाईजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर

दिनांक :

---

* यहाँ उस व्यक्ति का नाम अंकित करें जिसके द्वारा आपत्ति की गई है।

** यहाँ उस व्यक्ति का नाम अंकित करें जिसपर सूचना तामिल की गई है।

प्रपत्र – ख

नगरपालिका आम निर्वाचन नामावली, 2017 (बिहार)

जिला .... नगरपालिका .... वार्ड संख्या ....

अनुमंडल :	प्रखंड :	थाना :	डाकघर :	पृष्ठ संख्या

क्रमांक / विधान सभा निर्वाचक नामावली का क्रमांक / निर्वाचन पहचान पत्र संख्या निर्वाचक का नाम : पिता/माता/पति का नाम : गृह संख्या : उम्र : लिंग :	क्रमांक / विधान सभा निर्वाचक नामावली का क्रमांक / निर्वाचन पहचान पत्र संख्या निर्वाचक का नाम : पिता/माता/पति का नाम : गृह संख्या : उम्र : लिंग :	क्रमांक / विधान सभा निर्वाचक नामावली का क्रमांक / निर्वाचन पहचान पत्र संख्या निर्वाचक का नाम : पिता/माता/पति का नाम : गृह संख्या : उम्र : लिंग :

नोट : एक पृष्ठ पर कुल 30 नाम अंकित रहेंगे।

(1)

प्रपत्र – ग

दावा/आपत्ति की पंजी

जिला .... नगरपालिका .... वार्ड संख्या ....

क्रमांक	तिथि	दावाकर्त्ता/आपत्तिकर्त्ता का नाम एवं पता	आपत्ति का विवरण	अभ्युक्ति (पारित आदेश का सारांश)
1	2	3	4	5

प्रपत्र – घ

अन्तिम मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना

जिला .... नगरपालिका .... वार्ड संख्या ....

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वार्ड की अन्तिम मतदाता सूची को निम्नांकित स्थानों पर सर्वसाधारण के निरीक्षण हेतु प्रकाशित किया जाता है :-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

स्थान :
दिनांक :

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर